भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न 255
10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: बागवानी फसलों का बिक्री मूल्य

***255. श्री चंदन चौहानः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अपनाई गई ऐसी योजनाओं और तंत्र का ब्यौरा क्या है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बागवानी फसलें उगाने वाले किसानों को उनका बिक्री मूल्य प्राप्त हो सके;

(ख) क्या सरकार बागवानी फसलें उगाने वाले किसानों को उनका ब्रिक्री मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किसी नई योजना पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) के अंतर्गत जिला-वार लाभार्थियों की संख्या और खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)</u>

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

“बागवानी फसलों का बिक्री मूल्य” के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (क) से (ग) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क): सरकार, नाशवान प्रकृति की और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमआईएस) व्यवस्था के अंतर्गत न आने वाली कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए पीएम-आशा योजना के घटक के रूप में बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्वित करती है। एमआईएस का उद्देश्य बंपर फसल की अधिक आवक अवधि के दौरान, जब फसल के मूल्य आर्थिक स्तर से कम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसानों को मजबूरन बिक्री करने से बचाना है। प्रचलित बाजार मूल्यों में पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कम से कम 10% की गिरावट होनी चाहिए। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है, जो इसके कार्यान्वयन में होने वाली हानि, यदि कोई हो, का 50% (पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में 25%) का वहन करने के लिए तैयार है। खरीद की अधिकतम मात्रा उस विशेष मौसम के लिए उस फसल के संबंध में राज्य के अनुमानित उत्पादन का 25% तक है।

वर्ष 2024-25 से, सरकार ने भावांतर भुगतान (पीडीपी) का नया घटक लागू किया है, जिसमें कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) में व्यापार की जाने वाली फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को करने का विकल्प शामिल है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य तक टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के परिवहन और भंडारण लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को उनके भंडारण और परिवहन के लिए दी जाती है।

सरकार देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना भी कार्यान्वित कर रही है। एमआईडीएच के तहत, किसानों की उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन और मार्केटिंग हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): चूंकि सरकार बागवानी फसलों के लिए किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने हेतु पहले से ही विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, इसलिए कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत खरीदी गई वस्तुओं और लाभान्वित किसानों का जिला-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पीएम-आशा योजना के तहत जिलावार खरीद और लाभान्वित किसान

मात्रा एमटी में

वस्तु	जिला	2023-24		2024-25	
		मात्रा	लाभान्वित किसान	मात्रा	लाभान्वित किसान
मूंगफली	हमीरपुर	2,220.78	335	20,835.79	5,021
	जालौन	524.51	150	2,161.87	942
	झांसी	19,494.34	4,855	58,005.79	26,320
	ललितपुर	3,139.12	1,032	10,394.99	4,353
	महोबा	1,768.72	465	5,941.75	2,520
	बदायूं	-	-	2,099.82	1,001
	इटावा	-	-	949.99	450
	अलीगढ	-	-	3,798.18	1,570
	हरदोई	-	-	2,054.22	675
	हाथरस	-	-	136.17	63
	उप योग	**27,147.47**	**6,837**	**1,06,378.57**	**42,915**
तुअर	बदायूं	-	-	103.20	53
	हमीरपुर	-	-	11,024.71	4,710
	जालौन	-	-	2,942.30	1,222
	प्रयागराज	-	-	4,830.55	2,120
	उप योग	-	-	**18,900.76**	**8,105**
मसूर	बाँदा	-	-	181.95	135
	चित्रकूट	-	-	150.00	104
	हमीरपुर	-	-	4,882.15	2,248
	जालौन	-	-	1,547.44	761
	झांसी	-	-	18,257.97	8,215
	ललितपुर	-	-	14,133.05	5,858
	महोबा	-	-	2,551.25	1,235
	मिर्जापुर	-	-	264.28	119
	उरई	-	-	429.35	238
	सोनभद्र	-	-	73.35	39
	प्रयागराज	-	-	340.50	159
	उप योग	-	-	**42,811.29**	**19,111**
मूंग	झांसी	-	-	1,568.70	634
	ललितपुर	-	-	4,841.95	1,980
	हमीरपुर	-	-	1,742.70	353
	जालौन	-	-	2,652.45	927
	उप योग	-	-	**6,410.65**	**2,614**

	आगरा	-	-	328.05	154
	अलीगढ	-	-	5,581.86	2,529
	अम्बेडकर नगर	-	-	272.57	173
	औरैया	-	-	908.07	410
	बदायूं	-	-	542.07	239
	बाराबंकी	-	-	179.70	77
	बरेली	-	-	230.15	114
	बेहराइच	-	-	68.27	36
	बुलन्दशहर	-	-	9.35	10
	चित्रकूट	-	-	143.56	86
	एटा	-	-	739.15	327
	इटावा	-	-	1,003.53	422
	फ़तेहपुर	-	-	322.90	134
	फिरोजाबाद	-	-	18.75	12
	गाजीपुर	-	-	363.30	152
	गोंडा	-	-	976.75	437
	हमीरपुर	-	-	972.50	441
	हापुड	-	-	134.05	144
सरसों	हरदोई	-	-	1,370.65	599
	हाथरस	-	-	259.94	131
	जालौन	-	-	984.85	455
	झांसी	-	-	10,159.06	4,426
	कानपुर नगर	-	-	2,474.28	1,095
	कासगंज	-	-	397.98	172
	कौशांबी	-	-	152.88	65
	महोबा	-	-	5,134.35	2,353
	मैनपुरी	-	-	150.00	75
	मथुरा	-	-	184.55	111
	मिर्जापुर	-	-	1,974.00	954
	मुरादाबाद	-	-	640.55	284
	उरई	-	-	248.70	131
	प्रयागराज	-	-	1,297.68	581
	संभल	-	-	756.10	357
	शामली	-	-	33.25	22
	सोनभद्र	-	-	1,591.96	800
	उन्नाव	-	-	355.00	146
	ललितपुर	-	-	4,086.70	1,700
	उप योग	-	-	**45,047.06**	**20,354**
सकल योग		**27,147.47**	**6,837**	**2,19,548.33**	**93,099**

*****